1722 hrs.

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर मंत्री मजदूरों के बारे में यहां पर एक विधेयक लाये हैं कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ अमेंडमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसिज) बिल, 1996. मैं सबसे पहले हमारे लेबर मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिर किसी को इन मजदूरों की याद तो आ गई। 1988 में पहला एक ऑर्डीनेंस लाये थे और उसके बाद में उस ऑर्डीनेंस को दोहराया गया। अभी वह समय आ गया कि अगर दो तारीख से पहले यह ऑर्डीनेंस पास नहीं हो जाए, बिल विधेयक में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तो शायद यह बिल लैप्स हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन आ गई है। यह जो बिल लाये हैं वह ऐसे मजदूरों के लिए लाए हैं those who are the down-trodden, be ow the poverty line and most neglected in this country, ऐसी हालत में ये लोग काम कर रहे हैं कि हम सब कहते हैं 'we are working for the human beings' लेकिन हमें देखते हुए शर्म आती है कि 50 सालों में इस देश के अंदर इनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। इन 50 सालों के अंदर हमने इस देश के अंदर बहुत सारे इनेक्टमेंट कर दिये, विधेयक लाकर पास कर दिये, अमेंडमेंट भी कर दिये। लेकिन इन मजदूरों का ख्याल किसी ने नहीं किया। इनको क्या तनख्वाह मिलती है, इनको कौन सा मकान दिया जाता है जिसमें ये रहते हैं, इनके खाने-पीने का क्या बंदोबस्त है और इनको कपड़ा मिलता है या नहीं, उनका मकान किस हालत में है, यह देखने की परवाह किसी ने नहीं की। जिसने इस देश के अंदर बहुत सारी इमारतें खड़ी कर दीं, अपनी जान की बाजी लगाकर जो काम करते हैं, उनके प्रति समाज कोई ख्याल नहीं करता।

(ttt/1725/nkr-vbr)

हमारे मुम्बई शहर में ऐसी ऐसी बिल्डिंग बन रही है, जिनमें मालाओं की कोई सीमा नहीं है । उनमें अगर कोई ऊपर से नीचे देखने की कोशिश करे तो शायद चक्कर आने की वजह से वह गिर जाएगा । जिन बिल्डिंगस को स्काई-स्क्रैपर कहते हैं, ऐसी इमारतें वहां बन रही हैं । उनमें कंस्ट्रक्शन मजदूर ही काम कर रहे हैं जो खासकर आन्ध्र प्रदेश से आते हैं । यदि आप उनकी हालत को देखें - जहां खाड़ी या कीचड़ होती है, ऐसी जगहों पर वे अपने झोपड़े बनाते हैं । कंस्ट्रक्शन वर्क में वे अकेले काम नहीं करते, उनके छोटे बच्चे, पत्नी, बहन और बाप सभी काम करते हैं और पूरा परिवार कान्ट्रैक्टर के साथ काम करता है । मिट्टी में उन्हें रहना पड़ता है, सीमेंट से उनका रिश्ता है और आरोग्य रहने के लिये उनके पास कुछ नहीं है - ऐसी

हालत मे ये लोग काम करते है । जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है तो उनके झोपड़े वही रहते हैं जबकि मालिक कोई दूसरा कांट्रेक्ट लेकर, इन मजदूरो को वहीं छोड़कर, दूसरी जगह भाग जाता है और वहां नए लोगों को लेबर के रूप में रख लेता है ताकि किसी तरह की लायबिलिटी न रहे ।

पूरे मुम्बई शहर के अंदर अनाधिकृत झोपड़ियां बन गई हैं । हम लोगों ने अभी यह फैसला किया है कि जो लोग झोपड़ियो में रहते है उन्हें पक्का मकान बनाकर दिया जाए ताकि उन्हें कीचड़ से बाहर निकाला जा सके लेकिन इस काम में भी हमें लोगों की कोआपरेशन नही मिलती । मुम्बई शहर में बिल्डिंग बनाने वाले इतने रिच लोग रहते हैं कि शायद वे पूरे देश को खरीद सकते है - इतने रिच बिल्डर्स वहां बैठे हैं ।

इस समय सदन मे मंत्री जी नही है लेकिन मै उन्हे बोलना चाहता था कि इस विधेयक में जिस कानून का आपने प्रावधान किया है, उस पर अमल कौन करेगा । इसके अलावा जो मशीनरी प्रोवाइड की गई है, क्या वह काम में आ जाएगी, उसके अनुसार काम होगा - क्या इसकी गारंटी सैन्ट्रल गवर्नमेंट देगी ? मै इस बिल की एक-एक क्लॉज के पीछे जाना चाहता हूं । इसमे मजदूर की डैफिनीशन के बारे में जो कुछ कहा गया है, उस पर हमारे साथी जार्ज फर्नान्डीज ने काफी बोल दिया है । इसमे जो डैफिनीशन है क्या वह कंस्ट्रक्शन मजदूरो के लिए है क्योंकि जहां इसमें बहुत से मजदूरों को लिया गया है लेकिन वही साथ साथ सुपरवाईजर तथा टैक्निकल ऑफिसर को भी ले लिया गया है -

"Those who are involved in that work, they have been incorporated into the definition of this particular mazdoor."

मै पूछना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों के साथ इस बिल में अन्य लोगों को क्यों लगा दिया गया है । इसमे तो मात्र कंस्ट्रक्शन मजदूरो के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनके लिये ही कानून बनना था, अन्य लोगों के लिए कोई दूसरा कानून बन सकता था ।

लास्ट पैराग्राफ में जिस मशीनरी का जिक्र किया गया है, जैसा इन्होने भी कहा, मैने उसे बराबर मार्क करके रखा है जिसमे अपाईंट करने के बारे में बताया गया है -

"But does not include any building or other construction work to which the provision of the Factories Act, 1948 or the Mines Act, 1952 applies.

उन लोगों को छोड़ दिया - मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी फैक्टरी की बिल्डिंग

बनती है तो क्या उसमे फैक्टरी वर्कर्स ही काम करते हैं, क्या फैक्टरी वर्कर्स कंस्ट्रक्शन का काम करते है ? अगर फैक्टरी वर्कर्स कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते और सिविल वर्क करने वाले मजदूर ये ही है तो -

Why do you want to exempt these workers? Why do you want to exclude them from the provision of this Act? That is my straight question to the hon. Minister concerned.

मंत्री जी, मै आपसे पूछना चाहता हूं कि जब फैक्टरी बनाने मे ये कंस्ट्रक्शन मजदूर ही काम करते है तो उन्हें क्यो एक्सक्लूड कर दिया गया ?

उसके बाद जो मशीनरी प्रोवाइड की गई है, उसमे प्रावधान किया है -

"On receipt of an appeal under sub-Section (1), the appellate officer shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, confirm, modify or reverse the order of revocation as expeditiously as possible."

क्या इसकी कोई मर्यादा है - 6 महीने, एक साल या 6 साल - या उन्हें कभी भी छोड़ा जा सकता है । हमारे यहां महाराष्ट्र मे एक एक्ट बना है - एम आर.टी.यू. एण्ड एक्ट जिसे महाराष्ट्र रिकग्नीशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स एण्ड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज एक्ट कहते है । उसमें यह प्रावधान है -

"As far as possible, recognition should be granted within six months period."

(uuu/1730/lal-brv)

छह-छह महीने लग जाते हैं, फिर भी रिकोग्नाइज नहीं होता है।

In the meanwhile, the union gets changed itself.

लेकिन वहां पर केस चलता रहता है। इसलिए यहां पर कुछ स्पेसिफिक क्लॉज होनी चाहिए, उनको डाइरेक्टिव देना चाहिए कि ऐसी अपील होगी तो-

So and so and within such and such period, that should be decided, not as far as possible. It is a very dangerous one as far as the poor workmen are concerned.

Then, please refer to Clause 9(1) which says:

> "Any person aggrieved by an order made under section 8 may, within thirty days from the date on which the order is

communicated to him, prefer an appeal to the appellate officer who shall be a person nominated in this behalf by the appropriate Government."

यहां पर यह एक और मशीनरी बनाई, जहां पर हम लोगों को और डिले हो जाएगा। आज देश का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर delay is inherent. कोई भी काम हो तो कोर्ट में जाइए। कोई कंसिलिएशन मशीनरी में जाइए, किसी भी मजदूर को समय पर न्याय नहीं मिलता और इसके लिए ऐसा प्रोविजन है-

This has been copied out from the different enactments of this country.

यह मजदूरों के लिए नहीं है, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया।

Are we supposed to do the copying work in this country? Or, are we not going to introduce or incorporate something new into the Act? Is it necessary that we should blindly follow what has been provided in the other Acts in respect of the labourers?

50 सालों के बाद हमारे देश के अंदर नया कानून, नया प्रोविजन, नया रिलीफ अगर हम लोग मजदूरों को नहीं दे पाते हैं

We must apply our mind correctly and then say that we have been doing justice to the poor people.

इस बिल के अंदर पुअर लोगों को जस्टिस देने का सजेस्ट नहीं किया है। आपने पहले का जो है उसकी कॉपी करके इनकार्पोरेट कर दिया है। अपील के प्रोविजन के लिए मैंने कहा-

Please refer to Clause 12(5) which says:

"Any person aggrieved by the decision under sub-section (4) may, within thirty days from the date of such decision, prefer an appeal to the Secretary of the Board or any other officer specified by the Board in this behalf and the decision of the Secretary or such other officer on such appeal shall be final..."

वहां पर उसको आगे जाने के लिए कोई स्कोप नहीं है। वहां पर वे जो बोलेंगे-

Whatever he says, that is the final word. He should assert it and proceed further.

मुंडी नीचे करके उसको वहां से निकल जाना चाहिए या फिर उसको उधर जाना ही नहीं चाहिए। यह जो मशीनरी है यह बहुत डिफेक्टिव मशीनरी है। इसलिए मैं अरुणाचलम् जी से अपील करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप खयाल कर लीजिए।

Just see Clause 16(2) which says:

> "A beneficiary may authorise his employer to deduct his contribution from his monthly wages and to remit the same, within fifteen days from such deduction, to the Board."

मैं यह पूछना चाहता हूं कि कोई भी एम्पलॉयर यह कॉंट्रीब्युशन डिडक्ट करने के बाद नहीं भरेगा तो क्या प्रोविजन है? ई.एस.आई. का कॉंट्रीब्युशन मजदूरों की तनख्वाह से सीधा काटा जाता है। यदि मालिक नहीं भरता तो गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। वह कहती है कि आप स्वयं ही बेनेफिट करो। उनको जो दवाइयां मिलनी चाहिए वह भी बंद हो जाती है और उनको डॉक्टर कहते हैं कि आपके मालिक ने ई.एस.आई. का कॉंट्रीब्युशन नहीं भरा इसलिए आपको यह बेनेफिट नहीं मिलेगा। इस प्रोविजन का भी आपको खयाल करना पड़ेगा। अगर मालिक बोर्ड को पैसा नहीं भरेगा तो बोर्ड क्या करने वाला है।

What is the alternative arrangement that the Board is going to make? What is the mandatory provision for this? These things have to be explained.

यह बिल पास होने से पहले यह आपकी जिम्मेदारी है।

> "When a beneficiary has not paid his contribution under sub-section (1) of section 16 for a continuous period of not less than one year, he shall cease to be a beneficiary..."

मजदूर के लिए आपने प्रोविजन किया। अगर मजदूर कॉंट्रीब्युशन नहीं भरेगा, अगर वह काम पर नहीं है, कॉंट्रीब्युशन नहीं भर पाता-

(www/1735/sr-rpm)

He will not be a beneficiary.

ऐसा आप बोलते है, लेकिन मालिक पैसा बोर्ड को नहीं भरेगा, तो उसके लिए आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं, इसके लिए आपने कोई क्लेरीफिकेशन नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, वैकेंसीज के बारे में बजिटरी प्रावीजन दिया गया है।

There is a provision for the Budget also. यह बजट बोर्ड बनाएगा और

As per the provision of the Budget, all other benefits shall be distributed to the beneficiaries.

ऐसा उसका मकसद हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से इस विधेयक के ऊपर ठीक ढंग से सोचने के बाद ही सदन के सामने लाना चाहिए। विधेयक बहुत अच्छा है।

It has been copied down from somewhere else. That should not happen.

इसके रूल्स बने नहीं है। सब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अच्छी बात

है, ओवरटाइम की बात आपने लिख दी है। आपको मालूम है जहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू है, वहां पर अगर ओवर टाइम नहीं देना पड़ता है, तो उनको सवा टका या डेढ़ टका दिया जाता है। नहीं तो बोला जाता है कि आपको कम्पलसरी काम करना पड़ेगा। मै आपसे पूछना चाहता हूं कि इस ओवरटाइम के प्रावीजन को कौन इम्पलीमेंट करने वाला है? What should be the practical approach in this particular provision? That is my question.

आप जो बोल रहे हैं कि दुगुना पैसा दे देंगे, यह प्रावीजन कौन इम्पलीमेंट करेगा? क्या इसके लिए कोई रिमेडी है? आज भी वे लोग 12-12 घंटे काम करते हैं। उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि आपको यह काम दिया गया है, यदि करना है, तो करो, नहीं तो हमारे पास दूसरे आदमी तैयार हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश के अंदर बहुत बेकारी है। लोग काम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन काम नहीं मिलता है। इसलिए ओवरटाइम के लिए कोई दूसरा प्रावीजन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि इंसपैक्टर जाएगा। यदि इंसपैक्टर जाएगा, तो वह मालिक से पैसा खा लेगा। हमारे देश के अंदर हम जितने कानून बनाते हैं, जितने ज्यादा प्रावधान करते हैं, उतना ही करप्शन ज्यादा बढ़ा रहे है। इंसपैक्टर जाएगा। उसके ऊपर चीफ इंसपैक्टर जाएगा। वह भी मालिक के साथ हाथ मिलाएगा और मजदूरों को कुचलने का काम करेगा। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, उनको देखते हुए मजदूरों के लिए ठीक काम करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस बिल में अच्छे प्रावधान रखे हैं। लैट्रीन्स और यूरिनल्स की बात आपने लिखी है। कितनी बड़ी सुविधा आप इनको दे रहे है। आपने क्या कभी हमारे देश के अंदर के देहात या ग्रामों का सर्वेक्षण किया है, यदि किया है, तो क्या आपने देखा है कि उनमें कितने लैट्रीन्स और यूरिनल्स हैं? मै आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वे वहां नहीं है, तो क्या कंस्ट्रक्शन मजदूरों को कांट्रेक्टर बनाकर देने वाले हैं? आपने इस मे प्रावीजन कर दिया, लेकिन इस प्रावधान को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? आपने प्रावधान तो कर दिया, लेकिन क्या राज्य सरकारें इनको इम्प्लीमेंट करवा सकेंगी? Is there any remedy for this?

आपनेइसमे प्रावधान किया है कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को साइट पर एकोमोडेशन दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज के हालात मे कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को कौन मकान बनाकर देगा?

The temporary accommodation provided unaeo sub-section (i) shall have separate

cooking place, bathing, washing and lavatory facilities.

भाषा तो बहुत अच्छी है, मगर अमल में कौन लाएगा? क्या आप लाएंगे? क्या इसको यह गवर्नमेंट अमल में ला सकती है? अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो कौन करेगा? Why do you want to incorporate this provision into this Act? आपका सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस प्रावीजन को इसमें इनकार्पोरेट कर दिया जाए और कल टी.वी. पर, अखबारों में आ जाए कि अरुणाचलम ने, युनाइटेड फ्रंट सरकार के मंत्री ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बहुत सुविधाएं दे दी और अब मजदूरों को इतनी सुविधाएं मिलेंगी। Why do you want to incorporate this provision into this Act? आप सिर्फ अपना और अपनी सरकार का प्रचार करने के लिए ही यह करना चाहते हैं। Why do you want to incorporate this provision? If you are going to implement it, you are always welcome to do so. But if you cannot do it, what is the use of keeping this provision into this Act?

(xxx/1740/rjs-kvj)

मैं पीने के पानी के बारे में बोलता हूं। आज कल घर में पीने का पानी मिलना मुश्किल है। केवल एक घंटा पानी मिलता है। उन लोगों को एक घंटा पानी कौन देने वाला है? कहां से उनको पीने का पानी देंगे? आप बोलते है कि प्रोविः करके देंगे। एक मटका रखा गया और वह भी पता नहीं कहां से भरा जाता है। आप जाकर स्वयं देखें तो आपको पता लगेगा कि वे कहां से मटका भरकर लाते हैं। उन लोगों की क्या हालत है? आप प्रोविजन करते हैं लेकिन जहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहां पर आप जाकर उन लोगों की हालत देखिये कि उनकी हालत क्या है? उनकी बहुत बुरी हालत है। जो इंसान पानी नहीं पी सकता, वह पानी उनको पीने के लिए दिया जाता है। बेचारे गर्म करते हैं। पता नहीं कहां से चोरी करके लाते हैं और आप उनका कुकिंग का अरेंजमेंट करने वाले है। यह कौन देगा? यह बिल्डर जो उनका आज खून चूसते हैं, उनको ये सब सुविधायें देने वाले हैं। एक्ट के अंदर प्रोविजन करके उनको ज्यादा क्रास किया जायेगा। कल यह मजदूर बोलेगा कि जब यह कानून हमारे लिए नहीं था तो हम ज्यादा सुखी थे। कानून आ गया तो हम फंस गये, हम मर गये, ऐसी हालत हो जायेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो कुछ प्रोविजन करना है, उसको देख कर करना।

एक और क्लाज है डेमोलिशन की। अगर यह डेमोलिशन होता तो बंबई शहर के अंदर इतनी झोंपड़ियां नहीं बनती। हमारे बम्बई शहर की आबादी करीब 1 करोड़ 25 लाख है। इसके अंदर मेरे हिसाब से झोंपड़-पट्टी में रहने वाले लोग कम से कम 60 प्रतिशत

है। अगर यह डेमोलिशन हो जाता तो जहां-जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गयी वहां जो झोपड़ा लगाता, काम खत्म हो गया तो वह झोपडे वाला चला जाता है। वह अन्य जगह पर झोपड़ी लगायेगा। यह मालूम पड़ता था वहां झोपड़ी नहीं थी। लोकिन वह झोपड़ी बांधकर वहां से चला जाता है।

All these things continue and the Government has to take the liability. Builders use them and throw them away. This is the tendency of builders. You are making a legal provision for the employees working with such builders which is not going to be implemented. My question to you is, what are you going to do.

आपने फर्स्ट-एड का प्रावधान किया है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर एम्पलाईज गारंटी स्कीम है। इसके अंदर हम लोगों ने ऐसा प्रोविजन किया है। आप किसी भी जगह जाकर देखिये वहां फर्स्ट-ऐड नहीं है, बेबी क्रेचेस नहीं है। उन लोगों को पेड़ के नीचे या कुछ सहारा लेकर बच्चों को रखना पड़ता है। कानून में प्रोविजन है लेकिन इम्पलीमेंट नहीं होता। इम्पलीमेंट करने वाली जो मशीनरी है, वह करप्शन करती है। इसका भी पूरा ख्याल नहीं करते। कानून में जो प्रोविजन है, वह हकीकत में नहीं आता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

Is it not the responsibility of the Government to take such steps and see that whatever provisions have been made in the Act are actually implemented?

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह किसकी जिम्मेदारी है, कौन देगा?

दूसरा इसमें सबसे बड़ा जोक है कैंटीन। कैंटीन की क्या जरूरत है? उनको खाने के लिए कौन कैंटीन देने वाला है?

Have you seen the practical aspect of this entire Bill? Who has drafted this Bill? My suggestion to the person concerned is that he should go all over the country and find out for himself where such provisions have been made, even where three thousand people are employed by a builder.

खाने के लिए कुछ कैंटीन का प्रबन्ध किया है? आप बोलते हैं कि जहां कम से कम 200 वर्कर्स होंगे वहां उनको कैंटीन की सुविधा देनी पड़ेगी। ऐसा आपने इसके अंदर रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 200 को छोड़ दें। अगर 2000 मजदूर भी कहीं पर काम करते हैं तो उन लोगों के लिए आज कोई सुविधा नहीं है। अगर नहीं है तो

incorporating this provision into the Act, are you going to provide it? मुझे याद है कि आप तो अभी मिनिस्टर बने है। I will not blame you, Mr. Arunachalam. आप आइये। कोई बात नहीं। ब्यूरोक्रेट्स ने बिल बनाया, किसी ने और बिल बनाया और आपके सामने पेश किया?

Who will see the practical aspect of this Bill? Who is going into the greater details of this Bill and who will be the implementing machinery? Who is responsible if the provisions of the Act are not implemented?

(yyy/1745/rsg-nsh)

What is the provision? How are you going to see that the provisions of the Act are implemented?

आपसे यह सवाल है। इसके अंदर लिखा है कि सेफ्टी एंड अदर्स के लिए सेफ्टी, ऑफिसर का प्रोवीजन किया है। वहां ऐक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति ऊपर से गिरकर मर जाता है तो उसका ख्याल करने वाला भी कोई नहीं है। हमारे देश में इंसानियत पीछे हट गई है। पैसे की कीमत बढ़ गई है। सब लोग पैसे के पीछे पड़े है, इसलिए ढूंढना पड़ता है कि क्या देश में कहीं इंसानियत है। जिनका ऐक्सीडेंट हो जाता है, हमने उनकी हालत अपनी आंखों से देखी है। ऐक्सीडेंट की बात छोड़िए, यदि उनको कोई बीमारी भी हो जाती है तो उसका ख्याल करने वाला भी कोई नहीं है। उनको जो मजदूरी मिलती है, उससे डाक्टर का इलाज करना मुमकिन नहीं है। इसलिए उनको बहुत कठिनाई से बीमारी का मुकाबला करना पड़ता है।

आपने रूल्स के बारे में बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंटस रूल बनाने वाले है। वे कभी नहीं बना पाएंगे। उनको मालूम है,

There are a number of lacunae in this Bill.

अरूणाचलम जी से मेरी विनती है, उस दिन आप यहां पर नहीं थे, उठकर जा रहे थे।

I would not blame you. It is not your desire. The issues must have been in your mind. The Bill has come to you and you have been told that this must be passed within a given time because already the Ordinance was rejected three times.

रिजैक्ट हो गया, नया ऑर्डिनैंस लाना पड़ा। अभी ऑर्डिनैंस की तारीख दो अगस्त तक है। तब तक विधेयक मंजूर नहीं होगा तो फिर दुबारा राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि circumstances have arisen इसलिए हमको और एक ऑर्डिनैंस निकालना

पड़ता है। आप ऐसी हालत में बिल लाए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि चाय नहीं, खाने का बंदोबस्त करेंगे लेकिन देर तक बैठकर इस बिल को पास कराएं। हम शायद खाना खाएंगे लेकिन भूखे लोगों के लिए प्रोवीजन नहीं कर पाएंगे।

Whatever we do is for the welfare of the poor people. We are passing this Bill for the benefit of those people, who are the down-trodden and who are below the poverty line. We must be very careful, Shri Arunachalam. It should be done by incorporating the necessary amendments to the Act and making it fool-proof. All the poor people should get the benefits, not the MPs. If we do not get any credit, it is all right. We would tolerate that. We are working for the poor people and we should see that whatever provisions are incorporated in the Act are beneficial to all the people.

इस दृष्टि से एक्ट की तरफ देखें और जैसा जार्ज साहब ने कहा, इसके ऊपर apply your mind again. Give some thought to this particular Bill. If needed, we would sit together and we could try to consult with each other. We could try to find out some more remedies also. We could try to accommodate each other and suggest amendments. Whatever you might accept, we have to see to it that everything that we do is for the benefit of the working people.

हमारे देश में यह जो बहुत नैगलैक्टेड क्लास ऑफ वर्कर्स है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए शेष एक प्रतिशत की जो बात बताई गई है, one per cent is not sufficient, as Shri Venkat Swamy has said. यदि सरकार देती है तो बहुत अच्छी बात है। मालिक से नहीं लेना गवर्नमेंट से लेना है, गवर्नमेंट से ले लो। लेकिन गवर्नमेंट से लेने का मतलब पब्लिक एमाउंट से पैसा देना है, मालिक से लेने का मतलब उसके प्रौफिट से पैसा लेना है। प्रौफिट बहुत कुछ है। हमारे देश में आजकल वह इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बेनीफिशियल है जो बिल्डिंग कंसट्रक्शन के काम में है। अन्य कोई भी धंधा जो इस देश में चल रहा है

They are not benefited. The buildings are going up towards the skies and the labourers working on these buildings are suffering.

इस केटेगरी में बहुत सारे अन्य लोग हैं। They have been neglected. ... (व्यवधान) खाली मजदूर नहीं हैं, उनके साथ प्लम्बर भी हैं, कारपैन्टर्स भी हैं, अन्य लोग जो

रोजाना मदद करते हैं जैसे सुपरवाईजर केटेगरी के लोग, वे भी हैं। उनके साथ बहुत सारे पढ़े-लिखे इंजीनियर,

(1750/zzz/rbn-mkg)

They are also coming into this sector only because it is profitable. People who are coming for the sake of acquiring experience are totally exploited.

जो मालिक है, वह एक जगह नहीं, दस जगह बिल्डिंग बना देते हैं, उनके एक नहीं दस फ्लैट्स हमारे मुम्बई शहर में, दिल्ली शहर में और बहुत सारे शहरों में हैं, लेकिन जो मजदूर हैं, उनके लिए रहने का ठिकाना नहीं है । इसलिए जो प्रोफिट है, इस प्रोफिट के ऊपर भी कुछ रैस्ट्रिक्शन डालकर जो कुछ पैदा करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको चार पैसे ज्यादा दिलाने चाहिए ।

इसमें एक और प्रोवीजन आपने बोनस का किया है । मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने यह बिल ड्राफ्ट किया, उनमें से किसी को यह मालूम है क्या कि बोनस आज तक कितने लोगों को कौन से मालिक ने दिया ? मेरे हिसाब से इस लाइन में बोनस कभी भी नहीं दिया जाता ।

Workers of the organised sector are getting bonus. A provision for minimum bonus has been made to the extent of 8.33 per cent. It is assured for them. उतना तो इश्योर्ड है, पक्का है, अगर इंडस्ट्री प्रोफिट में चले, नहीं तो लॉस में कोई इंडस्ट्री चली जाय, They are entitled to get bonus.

लेकिन इन लोगों का क्या है, आपने तो प्रोवीजन किया है, लेकिन इनको बोनस मिलने वाला है क्या ? चूंकि मिलने वाला नहीं है, those incorporate । यह बिल के अन्दर लाना चाहिए और मजदूर के लिए जितना हो सकता है, उतना हम लोग अच्छा काम करें और अच्छा बिल पास करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अरुणाचलम जी

Arunachalamji, you being the Minister of Labour the credit should go to you. For that purpose, open mind, open heart, open discussion and open views are very much necessary. I hope your colleagues, including the Prime Minister will come forward and see that necessary amendments are incorporated and then only this Bill can be brought before this House for passing.

(ends)